



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-08062026-273232
CG-DL-E-08062026-273232

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2745]

नई दिल्ली, बुधवार, जून 3, 2026/ज्येष्ठ 13, 1948

No. 2745]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 3, 2026/JYAISHTHA 13, 1948

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 मई, 2026

का.आ. 2839(अ).—जबकि पहचान स्थापित करने के लिए आधार संख्या का उपयोग, व्यक्तियों को सुविधाजनक और निर्बाध रीति से सब्सिडी, लाभ और सेवाएं प्राप्त करने में सक्षम बनाता है, पहचान स्थापित करने के लिए दस्तावेजों की बहुलता की आवश्यकता को समाप्त करता है, प्रक्रियाओं को सरल बनाता है और पारदर्शिता तथा दक्षता को बढ़ावा देता है; और, जबकि, भारत सरकार (जिसे इसमें इसके पश्चात सरकार कहा गया है) में नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (जिसे इसमें इसके पश्चात 'मंत्रालय' कहा गया है) के अंतर्गत नवीकरणीय ऊर्जा अनुसंधान और प्रौद्योगिकी विकास कार्यक्रम' (जिसे इसमें इसके बाद योजना के रूप में कहा गया है) का संचालन कर रही हैं;

और जबकि, केन्द्रीय वित्तीय सहायता (जिसे इसमें इसके पश्चात 'लाभ' कहा गया है) उस अस्थायी श्रमशक्ति को दी जाती है — अर्थात् वरिष्ठ अनुसंधान अध्येता, कनिष्ठ अनुसंधान अध्येता और शोध सहयोगी (जिन्हें इसमें इसके पश्चात 'लाभार्थी' कहा गया है) — उक्त स्कीम और उसके संबंध में जारी किए गए निदेशों और दिशानिर्देशों के अधीन इस योजना के तहत प्रधान अन्वेषक को सौंपी गई परियोजना में नियुक्त किया जाता है;

और जबकि, भारत की संचित निधि से स्कीम के लिए व्यय उपगत किया जाता है:

और जबकि, मंत्रालय वांछा करता है कि सरकार, उक्त लाभ की प्राप्ति के लिए एक शर्त के रूप में लाभार्थी की पहचान स्थापित करने के प्रयोजन के लिए यह अपेक्षा करता है कि ऐसे लाभार्थी अधिप्रमाणन से गुजरें, या आधार संख्या रखने का प्रमाण प्रस्तुत करें या किसी ऐसे व्यक्ति के मामले में, जिसे कोई आधार संख्या प्रदान नहीं की गई है, नामांकन के लिए आवेदन करे;

अतः, अब, आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 की धारा 7 के उपबंधों के अनुसरण में, केन्द्र सरकार इसके द्वारा निम्नलिखित को अधिसूचित करती है, अर्थात्: -

1. (1) स्कीम के अधीन उक्त लाभ का फायदा उठाने के इच्छुक व्यक्ति को अधिप्रमाणन से गुजरना होगा, या आधार संख्या रखने का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा।

(2) यदि ऐसे व्यक्ति को आधार संख्या जारी नहीं की गई है, तो उसे नामांकन के लिए आवेदन करना होगा:

(3) आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियम, 2016 के विनियम 12 के उपबंधों के अनुसार, उक्त सरकारी निकाय एजेंसी, ऐसे लाभार्थियों का नामांकन सुनिश्चित करेगा जिनका अभी नामांकन होना है, या रजिस्ट्रारों के साथ समन्वय और सुविधाजनक अवस्थानों पर नामांकन केंद्र स्थापित करने या रजिस्ट्रार स्वयं बनकर नामांकन सुविधाएं प्रदान करने सहित उचित उपायों के माध्यम से उनके आधार विवरण को अद्यतित करेगा:

बशर्ते कि, जब तक ऐसे लाभार्थी को आधार संख्या आवंटित नहीं हो जाती, तब तक वह निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करके, जिसके वह हकदार हैं और जो प्रस्तुति के समय वैध होते हैं, उक्त लाभ प्राप्त करने के लिए अपनी पहचान स्थापित कर सकेगा, या, यदि ऐसी पहचान के लिए उक्त एजेंसी द्वारा प्रदान किया गया या प्राधिकृत सॉफ्टवेयर ऐसे प्राधिकारियों के डेटाबेस से ऐसे दस्तावेजों की अन्तर्वस्तु को प्रमाणित करने वाली सूचना को इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्राप्त करने में सहायता करता है, जो इसे तैयार करने या इसका रखरखाव, इस प्रकार प्राप्त करने के लिए अपनी सहमति देकर, से संबंधित हों अर्थात्:-

18 वर्ष या उससे अधिक आयु के लाभार्थी के लिए जिसे आधार संख्या नहीं दी गई है:

(i) ऑपरेटर द्वारा उपलब्ध कराई नामांकन केन्द्र में नामांकन प्रक्रिया से गुजरने वाले लाभार्थी की अभिस्वीकृति, जिसमें ईआईडी अन्तर्विष्ट है; और

(ii) निम्नलिखित दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज, जिसमें लाभार्थी का फोटो हो, अर्थात्:-

(क) भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी मतदाता फोटो पहचान पत्र;

(ख) राशन कार्ड;

(ग) कोई राजपत्रित अधिकारी, जो एक कार्यकारी मजिस्ट्रेट या राज्य सरकार का राजस्व अधिकारी, जो तहसीलदार की पंक्ति से नीचे न हो, द्वारा जारी किया गया जाति प्रमाण पत्र या अधिवास प्रमाण पत्र;

(घ) किसी सरकारी अस्तित्व या सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम द्वारा किसी सेवानिवृत्त या सेवारत लोक सेवक या उसके परिवार के सदस्य को जारी किया गया चिकित्सा या बीमा पहचान पत्र;

(ङ) भारतीय पासपोर्ट;

(च) स्कूल शिक्षा के किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड द्वारा जारी मैट्रिक या 10 वीं कक्षा या उच्चतर माध्यमिक या 12 वीं कक्षा के अंकों का प्रमाण पत्र या विवरण;

(छ) किसी सरकारी अस्तित्व या सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम द्वारा सेवारत या सेवानिवृत्त लोक सेवक को जारी किया गया पहचान पत्र या अन्य पहचान दस्तावेज;

(ज) दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2017 के अधीन अधिसूचित चिकित्सा प्राधिकरण द्वारा जारी विकलांगता प्रमाण पत्र, या दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, भारत सरकार द्वारा जारी विशिष्ट विकलांगता पहचान (यूडीआईडी) कार्ड;

(झ) भारत में जारी ड्राइविंग लाइसेंस;

(ञ) किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (2016 का 2) के अधीन उसके द्वारा बनाए गए नियमों के अधीन संबंधित राज्य सरकार के पास उस रूप में रजिस्ट्रीकृत बाल देखभाल संस्था द्वारा रखे गए बालक या विधि के उल्लंघन में बालक के संबंध में, ऐसी संस्था के प्रभारी, अधीक्षक, बाल कल्याण अधिकारी या परिवीक्षा अधिकारी द्वारा जारी किया गया उसकी जन्म की तारीख निर्दिष्ट करने वाला प्रमाण पत्र; अथवा;

(ट) किसी विदेशी नागरिक के संबंध में, -

(I) यदि वह ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्डधारक, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड है;

- (II) यदि वह एक तिब्बती शरणार्थी है, विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय द्वारा जारी पंजीकरण प्रमाण पत्र;
- (III) यदि वह नेपाल या भूटान का नागरिक है, नेपाल या भूटान का पासपोर्ट;
- (IV) यदि वह ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्डधारक, तिब्बती शरणार्थी या नेपाल या भूटान के नागरिक के अलावा अन्य है, तो विदेशी पासपोर्ट के साथ भारतीय वीजा या वर्तमान के लिए वैध दीर्घकालिक वीजा के साथ या समाप्त हो चुके विदेशी पासपोर्ट; अथवा

(ठ) ऐसे लाभार्थी के संबंध में, जिसके पास विधिक अभिभावक, दत्तक ग्रहण का आदेश या विधि संरक्षकता के लिए अन्य दस्तावेज हैं, जो संरक्षक और प्रतिपाल्य अधिनियम, 1890, किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के अधीन न्यायालय या सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया जाता है, ऑटिज्म वाले व्यक्तियों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय ट्रस्ट, सेरेब्रल पाल्सी, मानसिक मंदता और बहु-दिव्यांगता अधिनियम, 1999 या दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 और उक्त अधिनियमों के अधीन बनाए गए लागू नियम और विनियम; अथवा

(ड) मंत्रालय द्वारा विनिर्दिष्ट कोई अन्य दस्तावेज।

(4) इस निमित्त उक्त मंत्रालय द्वारा नामित कोई अधिकारी, प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों या उसकी विषय-वस्तु को प्रमाणित करने वाली सूचना के संबंध में उप-खंड (3) के अधीन जांच करेगा -

- (क) इस बात की पुष्टि करने के लिए कि पंजीकरण पहचान संख्या (ईआईडी) वैध है और नामांकन अनुरोध अस्वीकृत नहीं है, मेरा आधार पोर्टल (<https://myaadhaar.uidai.gov.in/portal>) पर पंजीकरण पहचान संख्या (ईआईडी) प्रस्तुत करके नामांकन अनुरोध की स्थिति का पता लगाएगा; और
- (ख) अन्य दस्तावेज, और इस प्रयोजन के लिए, किसी भी सरकारी संस्था या किसी प्राधिकरण की सहायता ले सकते हैं और प्रस्तुत जानकारी के साथ साझा कर सकते हैं, जो ऐसे दस्तावेजों में निहित जानकारी को तैयार करने या रखरखाव से संबंधित हो।

2. लाभार्थी को उक्त लाभ को सुविधाजनक रूप से प्राप्त करने में समर्थ बनाने के लिए, मंत्रालय स्कीम के अधीन आधार संख्या की आवश्यकता के बारे में लाभार्थियों को जागरूक करने के लिए मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगा।

3. जहां किसी भी बायोमेट्रिक-आधारित ढंग (अर्थात् चेहरे का प्रतिबिंब, उंगलियों की छाप या आईरिस स्कैन आधारित अधिप्रमाण) के माध्यम से किया गया लाभार्थी की आधार संख्या का अधिप्रमाण किसी भी कारण से, जैसे कि बायोमेट्रिक सूचना की खराब गुणवत्ता विफल हो जाता है, तो निम्नलिखित उपचारात्मक तंत्र अपनाए जाएंगे, अर्थात्:-

- (क) यदि अधिप्रमाण का कोई विशिष्ट बायोमेट्रिक-आधारित ढंग सफल नहीं होता है, तो बायोमेट्रिक-आधारित अधिप्रमाण या वन-टाइम पिन (ओटीपी) आधारित अधिप्रमाण का कोई अन्य ढंग, जहां भी व्यवहार्य और स्वीकार्य हो, प्रस्तुत किया जाएगा;
- (ख) ऐसे मामलों में जहां अधिप्रमाण के बायोमेट्रिक-आधारित या ओटीपी-आधारित ढंग संभव नहीं हैं, उक्त स्कीम के अधीन लाभ, आधार सिक्योर क्लिक रिस्पांस (क्यूआर) कोड या आधार पेपरलेस ऑफलाइन ई-केवाईसी दस्तावेज पर भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) के डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र का ऑफलाइन सत्यापन करके, आधार संख्या की वास्तविकता स्थापित करने के बाद, जैसा भी मामला हो, निम्नलिखित में से किसी के आधार पर दिया जा सकेगा:
 - (i) आधार क्यूआर स्कैनर या एमआधार ऐप का उपयोग करके, क्यूआर कोड को स्कैन करके, ऑफलाइन सत्यापन के माध्यम से इसकी वास्तविकता स्थापित होने के पश्चात्, आधार सिक्योर क्लिक रिस्पांस (क्यूआर) कोड जिसमें आधार कार्ड, आधार पत्र (अर्थात्, आधार नंबर धारक को उसकी आधार संख्या बनाने पर जारी किया गया पत्र) या ई-आधार (अर्थात्, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) की वेबसाइट से डाउनलोड किए जा सकने वाले आधार पत्र की पासवर्ड-सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक कॉपी या इसके एम-आधार ऐप का उपयोग करके एक्सेस किया जा सकता है)।
 - (ii) यूआईडीएआई की वेबसाइट पर इस संबंध में दिए गए व्यौरों के अनुसार, इस प्रयोजन के लिए मंत्रालय या एजेंसी द्वारा विकसित एप्लिकेशन के माध्यम से दस्तावेज पर भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) के

डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र के ऑफलाइन सत्यापन के माध्यम से इसकी वास्तविकता स्थापित होने के पश्चात, आधार पेपरलेस ऑफलाइन इलेक्ट्रॉनिक नो यॉर कस्टमर (ई-केवाईसी) दस्तावेज (भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) की वेबसाइट से डाउनलोड करने योग्य या इसके एमआधार ऐप का उपयोग करके प्राप्य)।

4. यह सुनिश्चित करने के लिए कि 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के *वास्तविक* लाभार्थी उक्त स्कीम के अधीन देय लाभ से वंचित न हों, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण मिशन, मंत्रिमंडल सचिवालय, भारत सरकार के दिनांक 19 दिसंबर, 2017 के कार्यालय ज्ञापन संख्या डी-26011/04/2017-डीबीटी (<https://dbtbharat.gov.in> पर उपलब्ध) में विनिर्दिष्ट अपवाद प्रबंधन तंत्र का मंत्रालय पालन करेगा।

5. यह अधिसूचना राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगी।

[फा. सं. 381/3/2024-डीबीटी (भाग-1)]

जे. राजेश कुमार, आर्थिक सलाहकार

MINISTRY OF NEW AND RENEWABLE ENERGY

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st May, 2026

S.O. 2839(E).—Whereas the use of Aadhaar number to establish identity enables individuals to receive subsidies, benefits and services in a convenient and seamless manner, obviates the need for multiplicity of documents to establish identity, simplifies processes and promotes transparency and efficiency:

And whereas, the Ministry of New and Renewable Energy (hereinafter referred to as the Ministry) in the Government of India (hereinafter referred to as the Government) is administering the Renewable Energy Research and Technology Development Programme (hereinafter referred to as the Scheme);

And whereas, the Central Financial Assistance (hereinafter referred to as the Benefit) is given to the temporary manpower that is, Senior Research Fellow, Junior Research Fellow and Research Associate (hereinafter referred to as the Beneficiary) who are hired in the project given to the Principal Investigator under the Scheme as per the instructions and guidelines issued in respect thereof,

And whereas, expenditure for the Scheme is incurred from the Consolidated Fund of India;

And whereas, the Ministry is desirous that the Government, for the purpose of establishing identity of a Beneficiary as a condition for the receipt of the Benefit, requires that such Beneficiary have to undergo authentication, or furnish proof of possession of Aadhaar number or in the case of an individual to whom no Aadhaar number has been assigned, make an application for enrolment;

Now, therefore, in pursuance of the provisions of section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016, (18 of 2016), the Central Government hereby notifies the following, namely: -

1. (1) An individual desirous of availing of the Benefit under the Scheme shall be required to undergo authentication, or furnish proof of possession of Aadhaar number.

(2) In case an individual who has not been assigned an Aadhaar number, he shall be required to make an application for enrolment.

(3) In accordance with the provisions of regulation 12 of the Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016, the Ministry shall ensure enrolment of a Beneficiary who is yet to be enrolled, or update his Aadhaar details through appropriate measures, including coordination with Registrars and setting up enrolment centers at convenient locations or providing enrolment facilities by becoming a Registrar itself:

Provided that till such time an Aadhaar number is assigned to a Beneficiary, he may establish his identity to avail of the Benefit, by presenting the following documents to which he is entitled and which are valid at the time of presentation, or, in case the software provide or authorized by the Ministry for such identification supports electronic obtaining of information evidencing the contents of such documents from the database of the authorities dealing with the preparation or maintenance thereof, by giving his consent for so obtaining, namely:—

For a Beneficiary aged 18 years or more to whom an Aadhaar number has not been assigned:

(i) the acknowledgement of Beneficiary having undergone the process of enrolment,

provided by the operator at the enrolment centre, containing the enrolment identification number (EID);
and

(ii) any one of the following documents, having the photograph of Beneficiary, namely: —

- (A) Elector's Photo Identity Card issued by the Election Commission of India;
- (B) Ration card;
- (C) Caste certificate or domicile certificate, issued by a Gazetted officer who is an Executive Magistrate or a Revenue Officer of the State Government, not below the rank of Tahsildar;
- (D) Medical or insurance identity card issued by a government entity or public sector enterprise to a retired or serving public servant or his family member;
- (E) Indian passport;
- (F) Certificate or statement of marks of Matriculation or 10th class or Higher Secondary or 12th class, issued by a recognised Board of school education;
- (G) Identity card or other identity document issued to serving or retired public servant by a government entity or a public sector enterprise;
- (H) Disability certificate issued by a notified medical authority under Rights of Persons with Disabilities Rules, 2017, or Unique Disability Identification (UDID) issued by the Department of Empowerment of Persons with Disabilities (Divyangjan), Government of India;
- (I) Driving licence issued in India;
- (J) In respect of a child in need of care and protection or a child in conflict with law, who is housed by child care institution registered with the State Government concerned under the rules made by it

under the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015, (2 of 2016), certificate specifying his date of birth issued by the person-in-charge, Superintendent, Child Welfare Officer or Probation Officer of such institution;

(K) In respect of a foreign national, —

(I) if he is an Overseas Citizen of India Cardholder, Overseas Citizen of India Card;

(II) if he is a Tibetan refugee, registration certificate issued by a Foreigners Regional Registration Office;

(III) if he is a national of Nepal or Bhutan, passport of Nepal or Bhutan;

(IV) if he is other than a Overseas Citizen of India Cardholder, Tibetan refugee or a national of Nepal or Bhutan, either an Indian visa along with foreign passport or a Long Term Visa to India along with currently valid or expired foreign passport;

(L) In respect of a Beneficiary who has a legal guardian, adoption order or other document to evidence legal guardianship, which is issued by a court of law or competent authority under the Guardians and Wards Act, 1890, (8 of 1890), the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015, (2 of 2016), the National Trust for Welfare of Persons with Autism, Cerebral Palsy, Mental Retardation and Multiple Disabilities Act, 1999, (44 of 1999), or the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016, (49 of 2016) and the applicable rules and regulations made under the said Acts; or

(M) Any other document as the Ministry may specify.

(4) An officer designated by the Ministry in this behalf shall check in respect of the documents presented or the information evidencing the contents thereof under sub-paragraph (3), —

a) status of enrolment request by submitting the Enrolment Identification number (EID) on myAadhaar portal (<https://myaadhaar.uidai.gov.in/portal>) to confirm that the Enrolment Identification number (EID) is valid and that the enrolment request does not stand rejected; and

b) Other documents, and for this purpose, he may take the assistance of and share the information presented with any government entity or an authority that deals with the preparation or maintenance of the information contained in such documents.

2. In order to enable Beneficiary to avail of the Benefit conveniently, the Ministry shall make all necessary steps to ensure wide publicity through media to make the Beneficiary aware of the requirement of Aadhaar number under the Scheme.

3. Where the authentication of the Aadhaar number of a Beneficiary is done through any of the biometric-based modes of authentication (namely, facial image, fingerprints or iris scan-based authentication) fails due to any reason, such as poor quality of biometric information, the following remedial mechanisms shall be adopted, namely: —

(a.) in case any particular biometric-based mode of authentication is not successful, any other mode of biometric-based authentication or One-Time Pin (OTP) based authentication shall, wherever feasible and admissible, be offered;

(b.) in cases where biometric-based or One-Time Pin (OTP) based modes of authentication are not possible, Benefit under the Scheme may, after establishing the genuineness of the Aadhaar number by doing offline verification of the digital signature certificate of Unique Identification Authority of India (UIDAI) on the Aadhaar Secure Quick Response (QR) Code or the Aadhaar paperless offline electronic know your customer (e-KYC) document, as the case may be, be given on the basis of any of the following, namely:—

- (i) An Aadhaar Secure Quick Response (QR) Code containing Aadhaar card, Aadhaar letter (i.e., letter issued to an Aadhaar number holder on generation of his Aadhaar number) or e-Aadhaar (i.e., password- protected electronic copy of Aadhaar letter downloadable from the website of Unique Identification Authority of India (UIDAI) or accessible using its myAadhaar app), after its genuineness is established through offline verification by scanning the Quick Response (QR) code using the Aadhaar Quick Response (QR) Scanner or my Aadhaar app.
- (ii) Aadhaar Paperless Offline electronic Know Your Customer (e-KYC) document (downloadable from the website of Unique Identification Authority of India (UIDAI) or accessible using its my Aadhaar app), after its genuineness is established through offline verification of the digital signature certificate of the Unique Identification Authority of India (UIDAI) on the document through the application developed by the Ministry or Department concerned for this purpose, in accordance with the details given in this regard on the website of the Unique Identification Authority of India (UIDAI).

4. In order to ensure that a *bona fide* Beneficiary who is aged 18 years or more is not deprived of the Benefit due to him under the Scheme, the Ministry shall follow the exception handling mechanism specified in the Office Memorandum number D-26011/04/2017-DBT, dated the 19th December, 2017 of the Direct Benefit Transfer Mission, Cabinet Secretariat, Government of India (available on <https://dbtbharat.gov.in>).

5. This notification shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

[F. No. 381/3/2024-DBT (Part-1)]

J. RAJESH KUMAR, Economic Adviser